आर टी आई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

पी.बी./आर.टी.आई./220/20-21(अपील नं. 42)
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
Central Administrative Tribunal
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली
Principal Bench, New Delhi

फ़ोन/Phone-011-23385097
फैक्स/Fax-011-23387713
ई-मेल/E-mail-
cat-delhi@nic.in

61/35, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली-110001

दिनांक : 21.06.2021

आदेश

जैसा कि, श्री अश्विनी कुमार सिंह द्वारा दिनांक 25.01.2021 को ऑनलाइन सूचना का अधिकार आवेदन, पंजीकरण सं. सीएडीएमटी/ए/इ/21/000/59 फाइल किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठों एवं इनमें केस फाइल करने के संबंध में सूचना मांगी गई है।

और जबकि, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उनके दिनांक 02.02.2021 के पत्र के माध्यम से बिंदुवार जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, जोकि सूचना का अधिकार पोर्टल के माध्यम से दिनांक 04.02.2021 को श्री अश्विनी कुमार सिंह को ऑनलाइन अग्रेषित की जा चुकी है।

और जबकि, अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.06.2021 को अपील फाइल की गई है, जिसकी पंजीकरण सं. सीएडीएमटी/ए/इ/21/000/39 है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि उसे उपलब्ध कराई गई जानकारी अधूरी, गुमराह करने वाली और असत्य है।

और जबकि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अपील की जानी चाहिए अथवा कोई ऐसा पर्याप्त कारण होना चाहिए जिसने अपीलकर्ता को तय सीमा में अपील फाइल करने से रोका हो।

और जबकि, अपीलकर्ता द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में अपील फाइल की गई है और न ही ऐसा कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपीलकर्ता को तय सीमा में अपील फाइल करने से रोका हो।

अतः, उक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा, अपील की योग्यता में न जाते हुए और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए कोई अनुदेश दिए बिना, इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(सुलभ रस्तोगी)
संयुक्त रजिस्ट्रार/प्रथम अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री अश्विनी कुमार सिंह,
9बी/10 महेवा ईस्ट इन्दालपुर रोड़,नजदीक बी.ओ.बी.,
पोस्ट-अगरी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211007

नोट : यदि आप प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंजनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली के समक्ष द्वितीय अपील फाइल कर सकते हैं, यदि आप उचित समझें।

प्रति : उप-रजिस्ट्रार (कंप्यूटर), के.प्र.अ., प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।